Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 125-2023/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JULY 17, 2023 (ASADHA 26, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

उद्योग तथा वाणिज्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 जुलाई, 2023

संख्या 16/02/2023-1IB-II.— सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 27) की धारा 30 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकर परिषद् नियम, 2021 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :–

1. (1) ये नियम हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकर परिषद् (संशोधन) नियम, 2023 कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकर परिषद् नियम, 2021 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, उप–नियम (1) में,–

(i) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

'(घ) ''परिषद्'' से अभिप्राय है, जहां मूलधन राशि बीस लाख रूपए से अधिक है, वाले दावों के मामलों का निपटान करने के लिए अधिनियम की धारा 20 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित हरियाणा सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकर परिषद्;';

(घक) ''जिला परिषद्'' से अभिप्राय है, जहां मूलधन राशि बीस लाख रूपए तक है, वाले दावों के मामलों का निपटान करने के लिए अधिनियम की धारा 20 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित जिला सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकर परिषद्;';

(ii) खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

'(छ) ''सदस्य'' से अभिप्राय है, अध्यक्ष सहित परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, का सदस्य ;।

3. उक्त नियमों में, नियम 3 में,–

(i) विद्यमान उपांतिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपांतिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''परिषद् या जिला परिषद् की संरचना।'';

(ii) उप–नियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप–नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

(1क) जिला परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:–

(क)	संबंधित जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	अध्यक्ष
(ख)	संबंधित जिला में पदस्थ न्याय प्रशासन विभाग, हरियाणा का कोई अधिकारी, जो सहायक जिला न्यायावादी की पदवी से नीचे का न हो	सदस्य
(ग)	उपायुक्त कार्यालय में पदस्थ कोई अधिकारी, जो लेखा अधिकारी की पदवी से नीचे का न हो	सदस्य
(घ)	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला सूक्ष्म और लघु उद्योग स्थानीय संघ या उद्यम का कोई सदस्य	गैर सरकारी सदस्य
(ड़)	संबंधित जिले के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम केन्द्र से कोई अधिकारी, जो सहायक निदेशक की पदवी से नीचे का न हो	सदस्य सचिव
टिप्पणीः संबंधित उपायुक्त मासिक आधार पर सुविधा परिषदों के कार्यकलापों का पुनर्विलोकन और जांच करेगा।''।		

(iii) उप–नियम (4) में, खण्ड (ड़) में, ''परिषद्'' शब्द के स्थान पर, ''परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो,'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियमों में, नियम 5 में,–

(i) विद्यमान उपांतिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपांतिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''परिषद् या जिला परिषद् की बैठक।'';

(ii) उप–नियम (1), (2), (3) तथा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

''(1) परिषद् का मुख्यालय पंचकूला में होगा। परिषद् अपने मुख्यालय या अन्य ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर, जो अध्यक्ष द्वारा विनिशिचित किया जाए, बैठक करेगी। परिषद् या जिला परिषद् की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष या सदस्य सचिव द्वारा की जायेगी। जिला परिषद् का मुख्यालय संबंधित जिले में होगा।

(2) परिषद् या जिला परिषद् अपने कारबार के संव्यवहार के लिए आमतौर पर प्रतिमास कम से कम एक बैठक का आयोजन करेगी।

(3) अध्यक्ष, किसी भी ऐसे मामले में, जिस पर उसकी राय में तत्काल और तुरन्त विचार किया जाना आवश्यक है, परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति, की तत्काल बैठक बुला सकता है।

(5) परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति, की बैठक नोटिस, जो सात दिन से कम से कम की अवधि का न हो, देते हुए बुलाई जा सकती है। परिषद् की तत्काल बैठक के मामले में नोटिस, जो अड़तालीस घंटे से कम की अवधि का न हो, देते हुए बुलाई जा सकती हैं।''।

5. उक्त नियमों में, नियम 6, 7, 8, 9, 10 तथा 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

''6. संदर्भ के सम्बन्ध में परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, की प्रक्रिया.– (1) हरियाणा राज्य में पंजीकृत व्यथित सूक्ष्म और लघु उद्यम आपूर्तिकार, समर्थक दस्तावेजों और संदर्भ की सॉफ्ट प्रति सहित प्ररूप–II में ब्याज के परिकलन सहित प्ररूप–I में परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, को संदर्भ भेज सकता है। संदर्भ के साथ तीन हजार पांच सौ रूपए की फीस अर्थात् एक हजार रूपए आवेदन फीस और दो हजार पांच सौ रूपए प्रशासनिक खर्च, परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, के अध्यक्ष के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफट/चेक/एन.ई.एफ. टी. के रूप में संलग्न की जाएगी। व्यथित सूक्ष्म और लघु उद्यम आपूर्तिकार प्ररूप–III में इस आशय की भी वचनबद्वता प्रस्तुत करेगा कि उसने समरूप विवाद में किसी सिविल न्याालय के समक्ष कोई संदर्भ प्रस्तुत नहीं किया है। व्यथित सूक्ष्म और लघु उद्यम आपूर्तिकार, खरीददार/खरीददारों, जिनके विरूद्ध सन्दर्भ दिया गया है, को भेजे जाने वाले संपूर्ण समुच्चय दस्तावेजों और संदर्भ की एक प्रति भी संलग्न करेगा।

(2) परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, सूक्ष्म और लघु उद्यम आपूर्तिकार से संदर्भ प्राप्त होने पर, इस प्रयोजन हेतु बनाए गए आधिकारिक वैब पोर्टल पर डाटा दर्ज करेगी।

(3) डाटा दर्ज करने के बाद, परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा संदर्भ की प्राप्ति की पावती, सूचना के किसी डिजिटल ढंग के माध्यम से सूक्ष्म तथा लघु उद्यम आपूर्तिकार को जारी की जाएगी।

(4) परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, प्रारंभिक स्तर पर संदर्भ दायर करने के संबंध में सूक्ष्म और लघु उद्यम आपूर्तिकार की सक्षमता या फीस की जांच करेगी। यदि संदर्भ में दर्ज किए गए ब्यौरे अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार नहीं पाए जाते हैं, तो परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, उक्त आपूर्तिकार को इस अनुरोध के साथ एक अवसर प्रदान करेगी कि वह अपेक्षित सूचना/दस्तावेज नोटिस में

विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, को उपलब्ध करवाए। यदि आपूर्तिकार, परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, को उक्त सूचना/दस्तावेज नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उपलब्ध करवाने में असफल रहता है, तो संदर्भ आगामी आवश्यक कार्रवाई किए बिना मूलरूप में वापस लौटा दिया जाएगा।

(5) परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, यदि संदर्भ में वर्णित तथ्यों से संतुष्ट है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम आपूर्तिकार, अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन संदर्भ प्रस्तुत करने के लिए पात्र है, तो वह प्रतिवादी को दावे के विवरण तथा संदर्भ से संलग्न अन्य दस्तावेजों की प्रति पंजीकृत डाक द्वारा या संसूचना के किसी डिजिटल ढंग के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए प्रतिवादी से परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, के अध्यक्ष के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफट/चेक/एन.ई.एफ.टी. के रूप में प्रशासनिक खर्च के लिए दो हजार पांच सौ रूपये की फीस सहित उक्त संदर्भ के संबंध मे उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहेगी।

(6) परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार संदर्भ में कार्यवाही करेगी। पक्षकारों को नोटिस स्पीड पोस्ट या संसूचना के किसी डिजिटल ढंग से माध्यम से जारी किए जाएंगे।

(7) यदि परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा संदर्भ किसी संस्था को भेजा जाता है, तो उक्त संस्था सुलह कराने का प्रयास करेगी और परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा संदर्भ भेजने के पन्द्रह दिन के भीतर या अवधि, जो परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, विनिर्दिष्ट करे, के भीतर अपनी रिपोर्ट परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, को प्रस्तुत करेगी।

(8) जहां उप–नियम (7) के अधीन शुरू की गई सुलह की प्रक्रिया असफल रहती है और दोनों पक्षकारों के बीच बिना किसी समझौते के समाप्त हो जाती है, तो परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार विवाद की मध्यस्थता के लिए कार्यवाही करेगी। पक्षकारों को नोटिस स्पीड पोस्ट या संसूचना के किसी डिजिटल ढंग के माध्यम से जारी किए जाएंगे।

(9) यदि सन्दर्भ संस्था को भेजा जाता है, तो संस्था माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम 26) के उपबन्धों के अनुसार विवाद में माध्यस्थम् कार्यवाही करेगी और परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, को पंचाट भेजेगी।

(10) परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, अपनी कार्यवाहियां वस्तुतः उपस्थिति या विडियो कॉन्फ्रैसिंग के माध्यम, जैसा उचित समझे, से करेगी।

(11) परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, मामले में माध्यस्थम् निष्कर्षों/रिपोर्ट तथा सिफारिशों पर विचार करेगी और अंतिम पंचाट/आदेश पारित करेगी।

(12) परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, कार्यवाहियों को संचालित करते समय सहायता हेतु माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम 26) की धारा 26 के अनुसार एक या एक से अधिक विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकती है।

7. परिषद् या जिला परिषद् के निर्णय.– (1) परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, का कोई भी निर्णय बैठक में उपस्थित इसके सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा।

(2) परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम 26) की धारा 31 के अनुसार माध्यस्थम् पंचाट पारित करेगी। पंचाट पर लागू सुसंगत विधि के अनुसार स्टाम्प फीस लगाई जाएगी। पंचाट की प्रमाणित प्रति पक्षकारों द्वारा आवेदन दायर करने के सात दिन के भीतर भेजी जाएगी।

(3) परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, प्रत्येक बैठक की कार्यवाही को, इस प्रयोजन के लिए बनाए गए आधिकारिक वेब पोर्टल पर अपलोड करेगी।

(4) परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा स्वयं या वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं उपलब्ध करवाने वाली किसी संस्था, जिसे परिषद् या संबंधित जिला परिषद् द्वारा संदर्भ भेजा गया है, द्वारा दिए गए किसी पंचाट अथवा अन्य आदेश को अपास्त करने के लिए कोई भी आवेदन किसी भी न्यायालय द्वारा तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक प्रतिवादी अपीलकर्ता (जो आपूर्तिकार न हो), पंचाट या अन्य आदेशों, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार ऐसी रीति जो ऐसे न्यायालय द्वारा निर्देश किया जाए, में उस राशि का पचहत्तर प्रतिशत जमा नहीं करवा देता है।

8. परिषद् या जिला परिषद् की मुहर.– परिषद् तथा जिला परिषद् की अपनी–अपनी सामान्य मुहर होगी, जो ऐसे दस्तावेजों पर लगाई जाएगी, जो अध्यक्ष आदेश द्वारा निर्देश करे।

9. परिषद् का अधीनस्था अमला.– (1) परिषद् का अधीनस्थ अमला, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम निदेशालय, हरियाणा द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा अथवा राज्य सरकार की नीति के अनुसार नियोजित किया जाएगा। अधीनस्थ अमले को भुगतानयोग्य वेतन और भत्ते इत्यादि सहित प्रशासनिक खर्च परिषद् की निधि से पूरे किए जाएंगे।

(2) परिषद् के साथ–साथ जिला परिषद् के गैर–सरकारी सदस्यो को भुगतानयोग्य भत्ते, परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, की निधि से पूरे किए जाएंगे।

10. वसूली.– यदि कोई खरीददार, परिषद् या जिला परिषद्, द्वारा या किसी संस्था द्वारा पारित किसी पंचाट या अन्य आदेश को अपास्त करने के लिए अधिनियम की धारा 19 के अधीन कोई अपील दायर नहीं करता है या यदि खरीददार द्वारा दायर की गई ऐसी अपील खारिज हो जाती है, तो उस स्थिति में परिषद् या जिला परिषद् या संस्था द्वारा पारित ऐसी डिक्री/पंचाट या आदेश को संबंधित जिला कलॅक्टर, जहां खरीदार की संपत्ति स्थित है, द्वारा निष्पादित किया जाएगा और देय राशि को भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

11. प्रगति रिपोर्ट.– (1) परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, वार्षिक प्रगति रिपोर्ट सहित अपने कार्य से संबंधित आधारभूत जानकारी इस प्रयोजन हेतु बनाए गए अपने आधिकारिक वेब पोर्टल पर अपलोड करेगी।

(2) परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, अधिनियम में यथा परिभाषित राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के सदस्य सचिव को ऐसी रीति और ऐसे प्ररूप में समय–समय पर यथा अपेक्षित सूचना उपलब्ध करवाएगी।''।

6. उक्त नियमों में, विद्यमान प्ररुप I, II तथा III के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

"प्ररुप I

[देखिए नियम 6 (1)]

सेवा में,

अध्यक्ष,

(संबंधित का नाम) सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकर परिषद,

————

विषयः— सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 18 के अधीन संदर्भ।

मैं, मैसर्स_____ का अधिकृत प्रतिनिधि हूँ। यह फर्म, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के उपबन्धों के अनुसार एक सूक्ष्म/लघु इकाई है। इस इकाई द्वारा माल/सेवाओं की आपूर्ति मैसर्स_____को की गई थी, परन्तु इसे भुगतान, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 के उपबन्धों के अनुसार नहीं किया गया हैं। इसलिए, मैं, खरीदार से व्यथित होते हुए संदर्भ दायर करना चाहता हूँ। मामले से संबंधित सूचना इस प्रकार हैः

1.	उद्योग आधार संख्या/उद्यम पंजीकरण संख्या (प्रमाण संलग्न करें) नोटः सूक्ष्म और लघु उद्यम उद्योग आधार udyogadhaar.gov.in (http://udyogadhaar.gov.in) अथवा उद्यम पंजीकरण (http://udyamregistration.gov.in) पर दर्ज कर सकते है।
2.	हरियाणा उद्यम ज्ञापन संख्या (प्रमाण संलग्न करें) नोटः सूक्ष्म और लघु उद्यम अपना हरियाणा उद्यम ज्ञापन संख्या (http://harudhyam.edisha.gov.in) पर दर्ज कर सकते है।
3.	आवेदन दायर करने की तिथि
4.	व्यथित सूक्ष्म और लघु उद्यम का ब्यौरा :
4.1	अधिकृत प्रतिनिधि का नामः (प्राधिकार संलग्न करें)
4.2	उद्यम का नाम (आपूर्तिकार) :
4.3	उद्यम का पता (पिन कोड सहित)
4.4	जिला :
4.5	राज्य :
4.6	मोबाईल नम्बर :
4.7	ईमेल :
4.8	व्यथित उद्यमी की किस्म :
	सूक्ष्म लघु
5	प्रतिवादी का नाम (क्रेता)
5.1	पता (पिन कोड सहित)
5.2	जिला :
5.3	राज्य :
5.4	मोबाईल नम्बर :
5.5	ईमेल :
5.6	प्रतिवादी (क्रेता) का वर्ग (सीपीएसयू/राज्य पीएसयू/_____)

6. दावे के संबंध में सूचना का विवरणः

(1) क्रेता/प्रतिवादी द्वारा जारी किए गए क्रय आदेशों का विवरण तथा उपलब्ध करवाई गई सामग्री/सेवा की मात्रा और लागत का विवरण।

क्रम संख्या	क्रय आदेश संख्या	क्रय आदेश की तिथि	विवरण
1	2	3	4

(2) खरीदार और आपूर्तिकर्ता के बीच पारस्परिक स्वीकार्य करार/संविदा के निबन्धन तथा शर्तें और डिलिवरी की नियत तिथि के विवरण।

(3) सामग्री सेवा का नाम, मात्रा तथा लागत के ब्यौरों सहित खरीद आदेश के लिए जारी किए गए बीजकों/बिलों के विवरण।

(4) डिलिवरी चालान/कार्य समापन प्रमाण–पत्र/माल प्राप्ति के विवरण।

(5) स्वीकार्य सामग्री/सेवाओं की मात्रा और तिथि के विवरण।

(6) आपूर्ति अनुक्रम में तिथियों सहित संदत्त और असंदत्त बीजकों के विवरण।

क्रम संख्यां	तिथि सहित बीजक संख्या	बीजक राशि	स्थिति (संदत्त या असंदत्त)
1	2	3	4

(7) आपूर्ति किए गए माल/सेवाओं हेतु विलम्ब भुगतान की गणना के लिए पैंतालीस दिन या नियत दिन के पूरा होने के विवरण।

(8) बकाया देयों के भुगतान के लिए प्रतिवादी के साथ किए गए पत्राचार के विवरण।

(9) किसी आपूर्ति किए गए माल/प्रदान की गई सेवाओं या पक्षकारों के बीच हुई वचनबद्धता के संबंध में प्रतिवादी की शिकायत/आक्षेप, यदि कोई हो, के विवरण और उसके प्रमाण।

(10) यदि आपूर्ति किए गए मालों और सेवाओं या स्वीकार्य करार पर प्रतिवादी से कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो तिथि में सुधार/प्रतिस्थापन के बाद उसकी स्वीकार्यता और उसके प्रमाण।

7.	भुगतानयोग्य मूलधन राशि :
8.	दावा किया गया ब्याज : (प्ररूप II के अनुसार गणना पत्र संलग्न किया जाए)
9.	भुगतान की गई फीस के विवरण :
9.1	राशि :
9.2	ढंग : चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट/एनईएफटी (विवरण दें)
10	मांगी गई राहत :
11.	कोई अन्य प्रासंगिक सूचना और संक्षिप्त विवरण (केस हिस्ट्री)

12. प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज :

(क) उद्योग आधार/उद्यम पंजीकरण संख्या ज्ञापन की फोटोप्रति (प्रथम विजक की तिथि से पूर्व की),

(ख) हरियाणा उद्यम ज्ञापन की फोटोप्रति,

(ग) आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र।

मैं, इसके द्वारा, बात की घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है। कोई भी सूचना जो आगे आवश्यक हो सकती है, संबंधित प्राधिकारी के समक्ष तुरंत उपलब्ध करवाई जाएगी।

हस्ताक्षर_____

दिनांकः नाम_____

(व्यथित एमएसई की ओर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

निर्देश :

1 दावा आवेदन, भारत सरकार के एमएसएमई समाधान पोर्टल पर दायर किया जाना आवश्यक है। (http://samadhaan.msme.gov.in/)

2 एमएसएमई समाधान पोर्टल पर दावा दायर करने के पन्द्रह दिन के बाद दावा आवेदन की मुद्रित मूल प्रति परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, को प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि खरीद आदेश मौखिक है, तो दावा आवेदन एक शपथ–पत्र से समर्थित होना चाहिए।

3 आवेदन के लिए सभी अनुलग्नक स्वयं सत्यापित होने चाहिए।

4 दावा आवेदन के साथ दस्तावेजों की सूची कालानुक्रम में पृष्ठ संख्या का उल्लेख करते हुए संलग्न की जाएगी।

5 दावा आवेदन की प्रतियॉ, एक मूलप्रति के साथ प्रतिवादियों की संख्या के अनुपात में होनी चाहिए।

6 अपूर्ण दावा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्ररूप II

[देखिए नियम 6 (1)]

ब्याज की गणना

क्रम संख्या	बीजक/बिल संख्या और आपूर्ति आदेश की तिथि	खाना 2 में वर्णित बीजक/बिल की कुल राशि	द्वारा प्राप्त माल/सेवाओं की तिथि	मालों/प्रदत्त सेवाओं के लिए प्राप्त भुगतान की राशि	विलम्ब अवधि	शेष अंशदत्त मूल राशि	बिल का विवरण अर्थात् बिल संख्या और तिथि जिससे ब्याज का दावा किया गया है।	
							बीजक/बिल संख्या	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

नियत दिन की तिथि की गणना के लिए खरीद आदेश/करार की तिथि से या अधिनियम में यथाउपबन्धित तिथि से भुगतान के लिए देय तिथि/पैंतालीस दिन, जैसी भी स्थिति हो	नियत दिन की तिथि से परिषद् या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष संदर्भ दायर करने की तिथि तक अधिनियम/करार के अनुसार विलम्ब/असंदत्त भुगतान पर ब्याज की गणना	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर का ब्याज	दिनांक..... से ..... तक की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर के तीन गुणा के रूप में मासिक ब्याज के साथ चक्रवृद्धि ब्याज की गणना (जैसा कि खाना 12 में वर्णित किया गया है) ..... से ..... तक की अवधि के लिए।	टिप्पणियां
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

हस्ताक्षर.....

नाम.....

दिनांक: (व्यथित एमएसई की और से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

प्ररूप III

[देखिए नियम 6 (1)]

(एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अधीन दावा करने वाले आपूर्तिकार उद्यमी द्वारा अपने लैटरहेड पर प्रस्तुत की जाने वाली वचनबद्धता)

सेवा में,

अध्यक्ष,
(संबंधित का नाम) सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकर परिषद्,
—————

विषयः— **सूक्ष्म, लघु और मध्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 18 के अधीन संदर्भ।**

मैं, मैसर्स________का अधिकृत प्रतिनिधि हूॅं। यह फर्म, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमी विकास अधिनियम 2006 के उपबन्धों के अनुसार एक सूक्ष्म/लघु इकाई है। मैं, इसके द्वारा पुष्टि करता हूॅ कि इस फर्म ने वर्तमान विवाद पर परिषद् या जिला परिषद् या किसी सिविल न्यायालय के समक्ष कोई संदर्भ नहीं दिया है।

मैं, इसके द्वारा, घोषित करता हूॅ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

हस्ताक्षर__________

नामः____________

दिनांकः 13 जुलाई, 2023

(व्यथित एमएसई की और से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)''।

आनन्द मोहन शरण,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT

Notification

The 17th July, 2023

No. 16/02/2023-1IB-II.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) read with sub-section (2) of section 30 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (Central Act 27 of 2006), the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Micro and Small Enterprises Facilitation Council Rules, 2021, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Micro and Small Enterprises Facilitation Council (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Haryana Micro and Small Enterprises Facilitation Council Rules, 2021 (hereinafter called the said rules), in rule 2, in sub-rule (1),-

(i) for clause (d), the following clauses shall be substituted namely:-

'(d) "Council" means the Haryana Micro and Small Enterprises Facilitation Council established by the State Government under section 20 of the Act to deal with the cases where principal amount is more than twenty lac rupees;

(da) "District Council" means the District level Micro and Small Enterprises Facilitation Council established by the State Government under section 20 of the Act to deal with the cases where principal amount is upto twenty lac rupees;';

(ii) for clause (g), the following clause shall be substituted namely:-

'(g) "member" means the member of the Council or District Council, as the case may be, including its Chairperson;'.

3. In the said rules, in rule 3,-

(i) for existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:-

"Composition of Council or District Council.";

(ii) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

(1A) The District Council shall consist of following members, namely:-

(a)	Additional Deputy Commissioner of the concerned District	Chairperson
(b)	An officer from the Administration of Justice Department, Haryana, not below the rank of Assistant District Attorney posted in the concerned District	Member
(c)	An officer not below the rank of Accounts Officer posted in the Deputy Commissioner Office	Member
(d)	A member from the local association of Micro or Small Industry or enterprises to be appointed by the State Government	Non-Official Member
(e)	An officer from the District Micro, Small and Medium Enterprises Centre of the concerned District not below the rank of Assistant Director	Member Secretary
Note: The concerned Deputy Commissioner shall review and check the working of Facilitation Councils on monthly basis.		

(iii) in sub-rule (4), in clause (e), for the word "Council", the words and signs "Council or District Council, as the case may be," shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 5,-

(i) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:- "Meeting of Council or District Council.";

(ii) for sub-rules (1), (2), (3) and (5), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(1) The Headquarter of the Council shall be at Panchkula. The Council shall meet at its Headquarter or at such place and at such time, as the Chairperson may decide. The meeting of the Council or District Council shall be headed by the Chairperson or the Member Secretary. The Headquarter of the District Council shall be at the concerned District.

(2) The Council or District Council shall ordinarily convene at least one meeting in every month for transaction of its business.

(3) The Chairperson may convene an urgent meeting of the Council or District Council, as the case may be, for consideration of any matter which, in his opinion, requires immediately and urgent attention.

(5) A meeting of the Council or District Council, as the case may be, called by giving notice of not less than seven days. In case of an urgent meeting, the same shall be called by giving notice of not less than forty eight hours."

5. In the said rules, for rule 6, 7, 8, 9, 10 and 11, the following rules shall be substituted, namely:-

"6. Procedure of Council or District Council in respect of reference.- (1) An aggrieved Micro and Small Enterprise supplier registered within the State of Haryana, may move reference to the Council or District Council, as the case may be, in Form-I with interest calculation in Form-II alongwith supportive documents and soft copy of the reference. The reference shall be accompanied with fees of rupees three thousand five hundred i.e. one thousand rupees towards application fee and two thousand five hundred rupees towards administrative expenses by way of demand draft/ Cheque/ NEFT in favour of the Chairperson of the Council or District Council, as the case may be. An aggrieved Micro and Small Enterprise supplier shall also submit an undertaking in Form-III to the extent that he has not moved a reference before any Civil Court on the same dispute. The aggrieved Micro and Small Enterprise supplier shall also simultaneously send a copy of the reference along with complete set of documents to the buyer or buyers against whom the reference is made.

(2) Upon receipt of reference from the Micro and Small Enterprise supplier, the Council or District Council, as the case may be, shall enter the data in the official web portal created for this purpose.-

(3) After entering the data, acknowledgement of the receipt of reference shall be issued by the Council or District Council, as the case may be, to the Micro and Small Enterprise supplier through digital mode of communication.

(4) The Council or District Council, as the case may be, shall examine the reference at preliminary stage to check regarding fee or competency of Micro and Small Enterprise supplier to file the reference. In case the particulars entered in the reference are not found as per provisions of the Act or rules made thereunder, the Council or District Council, as the case may be, shall give an opportunity to the said supplier with the request to supply the requisite information/documents within such period as specified in the notice. If the supplier fails to supply the above said information/documents within specified period to the Council or District Council, as the case may be, then the reference shall be returned in original without taking further necessary action.

(5) The Council or District Council, as the case may be, shall, if satisfied with the facts stated in the reference that the Micro and Small Enterprise Supplier is entitled to make a reference under the provisions of the Act or rules made thereunder, shall issue a notice to the respondent alongwith a copy of the statement of claim and other documents attached to the reference by registered post or any digital mode of communication, asking him to furnish a response to the said reference within fifteen days of receipt of the said notice alongwith fees of two thousand five hundred rupees towards the administrative expenses by way of demand draft/ Cheque/ NEFT in favour of Chairperson of the Council or District Council, as the case may be.

(6) The Council or District Council, as the case may be, shall take action in the reference as per provisions specified in sub- section (2) of section 18 of the Act. The notice shall be issued to the parties through speed post or any digital mode of communication.

(7) If the reference is sent by the Council or District Council, as the case may be, to any institution, the said institution shall make efforts to bring about conciliation and shall submit its report to the Council, or District Council, as the case may be, within fifteen days of sending the reference or within such period as maybe specified by the Council or District Council, as the case may be.

(8) Where conciliation initiated under sub-rule (7) is not successful and stands terminated without any settlement between the parties, the Council or District Council, as the case may be, shall take-up the dispute for arbitration as per the provisions specified in sub-section (3) of section 18 of the Act. The notice shall be issued to the parties through speed post or any digital mode of communication.

(9) If the matter is referred to the institution, the institution shall arbitrate the issue as per provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (Central Act 26 of 1996) and refer the award to the Council or District Council, as the case may be.

(10) The Council or District Council, as the case may be, shall conduct its proceedings through physical appearance or video conferencing as deemed fit.

(11) The Council or District Council, as the case may be, shall consider the arbitral findings/reports and recommendations and pass appropriate final award/ order in the matter.

(12) The Council or District Council, as the case may be, may appoint/ or engage the services of one or more experts in terms of section 26 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (Central Act 26 of 1996) for taking assistance while conducting the proceedings.

7. Decision of Council or District Council.- (1) Any decision of the Council or District Council, as the case may be, shall be made by a majority of its members present at the meeting.

(2) The Council or District Council, as the case may be, shall make an arbitral award in accordance with section 31 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (Central Act 26 of 1996). The award shall be stamped in accordance with the relevant law in force. The certified copy of the award shall be sent within seven days of filing of an application by the parties.

(3) The Council or District Council, as the case may be, shall upload the proceedings of every meeting on official web portal created for the purpose.

(4) No application for setting aside any award or other order made either by the Council or District Council, as the case may be, itself or by any institution providing alternate dispute resolution services to which a reference is made by the Council or concerned District Council, shall be entertained by any court unless the respondent appellant (not being a supplier) has deposited with it seventy-five percent of the amount in terms of the award, or the other order, as the case may be, in the manner as directed by such court.

8. Seal of Council or District Council.- There shall be a common seal of the Council and District Council, respectively which shall be affixed on such documents as the Chairperson may, by order, direct.

9. Subordinate Staff of Council.- (1) The subordinate staff of the Council shall be provided by the Directorate of Micro, Small and Medium Enterprises, Haryana or the same may be engaged as per policy of the State Government. Administrative expenses including salaries and allowances etc. payable to the subordinate staff shall be met out from the funds of the Council.

(2) Allowances payable to the non-official members of the Council as well as District Council shall be met out from the fund of the Council or District Council, as the case may be.

10. Recovery.- If a buyer does not file any appeal under section 19 of the Act to set aside any award or other order either made by the Council or District Council, itself or by any institution or if such appeal filed by the buyer is dismissed, in that case such decree/ award or other order passed by the Council or District Council or institution shall be executed by Collector of the District Concerned where the property of the buyer is located and the amount due shall be recovered as an arrear of land revenue.

11. Progress Report.- (1) The Council or the District Council, as the case may be, shall upload the basic information related to its working including the annual progress report on the official web portal created for the purpose.

(2) The Council or the District Council, as the case may be, shall provide information to the Member Secretary of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises as defined in the Act in the manner and form as required from time to time.

6. In the said rules, for the existing Forms I, II and III, the following forms shall be substituted, namely:-

"FORM-I

[*see rule 6(1)*]

To

The Chairperson

(Name of Concerned) Micro and Small Enterprises Facilitation Council

_____.

Subject: Reference under Section 18 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006.

I am authorized representative of M/s ----------. This firm is a micro/ small unit as per provisions of MSMED Act, 2006. This unit had supplied the goods/ services to M/s ----------, but it has not been paid as per provisions of Section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. I, therefore, aggrieved with the buyer, wish to file a reference. The information pertaining to case is as under:

1.	Udyog Aadhar No./ Udyam Registration No.: (Proof to be attached) Note- MSE may register Udyog Aadhar on udyogaadhaar.gov.in (https://udyogaadhaar.gov.in) or Udyam Aadhar on (https://udyamregistration.gov.in)
2.	Haryana Udhyam Memorandum No.: (Proof to be attached) Note- MSE may register Haryana Udhyam Memorandum on harudhyam.edisha.gov.in (https://harudhyam.edisha.gov.in/)
3.	Date of filing application (DD/MM/YYYY):
4.	Details of aggrieved MSE
4.1	Name of Authorized representative: (authorization to be attached)
4.2	Name of Enterprise (supplier):
4.3	Address (including Pin code):
4.4	District:
4.5	State:
4.6	Mobile No.:
4.7	Email:
4.8	Type of aggrieved Enterprise:
	Micro Small
5.	Name of respondent (buyer)
5.1	Address (including Pin code):
5.2	District:
5.3	State:
5.4	Mobile No.:
5.5	Email:
5.6	Category of respondent (buyer) [CPSU/State PSU/---------]:

<table>
<tr><td>6</td><td>Details of information in respect of claim
(1) Details of purchase orders issued by the purchaser/Respondent with description of material/ Service provided quantity and cost.
<table>
<tr><td>Serial No.</td><td>Purchase Order Number</td><td>Date of Purchase Order</td><td>Description</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
(2) Detailed description of mutually agreed terms and conditions between purchaser and supplier /Agreement / Contract along with stipulated delivery date.
(3) Details of Invoices/Bills raised against purchase order with particulars of material /service name, quantity and cost.
(4) Details of delivery challans /work completion certificates/goods receipt.
(5) Details of material/services acceptance, quantities and date.
(6) Details of paid and unpaid invoices with dates in the order of supplies.
<table>
<tr><td>Serial No.</td><td>Invoice Number with date</td><td>Invoice Amount</td><td>Status (Paid or Unpaid)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
(7) Details of completion of forty-five days and appointed day for calculating delayed payment for goods/ services supplied.
(8) Details of correspondence with Respondent for payment of outstanding dues.
(9) Details of complaints/objections of Respondent, if any, against goods supplied/services provided or any understanding between parties and proof thereof.
(10) If a complaint is received from Respondent on supplied goods and services or on mutual agreement, then acceptance of the same by Respondent buyer after rectification/ replacement with date and proof thereof.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Principal amount payable:</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Interest claimed as on:
(Attach calculation sheet as per Form-II)</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Details of fee paid:</td></tr>
<tr><td>9.1</td><td>Amount:</td></tr>
<tr><td>9.2</td><td>Mode: Cheque/ Demand Draft/ NEFT (Provide details)</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Relief Sought</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Any other relevant information and brief description (Case History)</td></tr>
</table>

12. Additional Documents to be submitted:

(a) Photocopy of Udyog Aadhaar Memorandum/ Udyam Registration Number (Prior to the date of 1st invoice);

(b) Photocopy of Haryana Udhyam Memorandum;

(c) Affidavit in support of application.

I hereby declare that information given above is true to the best of my knowledge. Any information that may further be required, shall be provided immediately before the concerned authority.

Signature: _____

Name : _____

(Authorized signatory on behalf of aggrieved MSE)

Date:

INSTRUCTIONS:

1. Claim application is required to be filed on MSME Samadhaan portal of Government of India on https://samadhaan.msme.gov.in ;
2. Printed original copy of the claim application must be submitted to the Council or the District Council, as the case may be, after fifteen days of filing claim on MSME Samadhaan portal. The claim application must be supported by an affidavit in case purchase order is oral;
3. All annexure(s) to the claim application must be self-attested;
4. List of documents duly mentioning the page number in chronological order shall be enclosed along with the claim application;
5. Copies of claim application must be in proportion to the number of the respondents along with one original copy;
6. Incomplete claim application shall not be accepted.

Form – II

[*See rule 6(1)*]

INTEREST CALCULATION

Serial No.	Invoice/ Bill Nos. and Date of Supply order	Total amount of Invoice/ Bills indicated in Column (2)	Date of receipt of Goods/ Services by Buyer	Amount of Payment received with date against goods supplied/ service provided	Delay period	Principal amount remaining unpaid	Details of bills with bill no. and date on which the interest has been claimed	
							Invoice/ Bill Nos.	Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Due date/ 45 days for payment, as the case may be, from the date of purchase order/ agreement or as provided in the Act for calculating the actual date of appointed day	Calculation of interest on delayed/ unpaid payment in terms of At/ agreement from the date of appointed day till the date of filing the reference before the Council or the District Council, as the case may be	Interest of Bank rate as Notified by the Reserve Bank of India	Calculation of Compound interest with monthly interest as three times of the Bank Rate notified by the Reserve Bank of India (as indicated in column (12) from the period from _____ to _____	Remarks
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Signature: _____

Name : _____

(Authorized signatory on behalf of aggrieved MSE)

Date:

Form-III

[*see rule 6(1)*]

(Undertaking to be submitted by the claimant supplier under MSMED Act, 2006 on the letter head of the enterprise)

To

The Chairperson

(Name of Concerned) Micro and Small Enterprises Facilitation Council

_____.

Subject: Reference under Section 18 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006.

I am authorized representative of M/s ----------. This firm is a micro/ small unit as per provisions of MSMED Act, 2006. I hereby confirm that this firm has not moved any reference before the Council or the District Council or any Civil Court on the present dispute.

I, hereby, declare that the information given above is true to the best of my knowledge and belief.

Signature: _____

Name: _____

(Authorized signatory on behalf of aggrieved MSE)"

The 13th July, 2023

ANAND MOHAN SHARAN,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Industries and Commerce Department.

10477—C.S.—H.G.P., Pkl.